न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 16/2010 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नवल किशोर पुत्र सोमदत्त जाति ब्राहमण निवासी मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:—— प्रार्थी अपीलांट

बनाम

1. राममोहन पुत्र घीसाराम जाति ब्राहमण
2. कैलाश चन्द पुत्र घीसाराम जाति ब्राहमण
3. महेशचन्द पुत्र घीसाराम जाति ब्राहमण

   निवासीयान ग्राम मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर हाल आबाद मकान नम्बर 81, लम्बी गली, वार्ड नं0 8, सांभरलेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राजस्थान)
4. मिथिला देवी पुत्री घीसाराम जाति ब्रहामण निवासी ग्राम मांढण तह0 बहरोड जिला अलवर हाल पत्नि विष्णु प्रसाद मांगीलाल उपाध्याय निवासी चारी गली, बेलापुर (महाराष्ट्र)
5. प्रेमदेवी पुत्री घीसाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर हाल पत्नि सुरेश चन्द व्यास निवासी 7, दर्शनपुर उदयपुर (राजस्थान)
6. अनिता पुत्री घीसाराम जाति ब्राहमण ग्राम मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर हाल पत्नि भीमसेन शर्मा निवासी 19 बी, जगन पथ, चौमू हाउस, जयपुर (राजस्थान)
7. सन्तोष पुत्री घीसाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांढण तहसील बहरोड जिला अलवर हाल पत्नि ओमप्रकाश निवासी 17, गंगावत पार्क, जयपुर (राजस्थान)
8. नायब तहसीलदार कम उप पंजीयक, नीमराणा जिला अलवर ।

:—— अप्रार्थीगण रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 16.12.2009

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटः— श्री नवनीत तिवाडी

2. वकील रेस्पो0:—सर्व श्री सीतारामशर्मा, जगराम यादव

निर्णय दिनांक :— 5/11/16

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 135/09 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट उनवान नवल किशोर बनाम राममोहन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2009 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 53 एयर वाके ग्राम मांढण तहसील बहरोड में स्थित है, जो आराजी वादी प्रार्थी के पिता सोमदत्त की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । उनके देहान्त के बाद वादी प्रार्थी काबिज चला आ रहा है । इस आराजी के पास हाल खसरा नम्बर 854 रकबा 85 एयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 533 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा है, स्थित है, जो आराजी गैर मुमकिन रास्ता है । प्रार्थी वादी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 853 में रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 854 से होकर आता जाता है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 533 से हाल खसरा नम्बर 854 कायम कर उसे बेजा तौर पर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । वास्तव में यह भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है । इस गलत अंकन की आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने से रोकते हैं, परेशान करते हैं । अतः निवेदन है कि उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट का बहस में कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 854 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है,जिसके साबिक खसरा नम्बर 533 थे । साबिक रिकार्ड में यह नम्बर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 533 से हाल नम्बर 854 कायम कर इसे अप्रार्थीगण रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को सिर्फ पुराने इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है, उसे साबिक इन्द्राज को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । इस गलत अंकन की आड में अप्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने में मजाहमत करते हैं । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 85 एयर वास्तव में हमारी ही खातेदारी का है । इसके साबिक नम्बर 533 नहीं थे । इसके साबिक नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा थे । साबिक रिकार्ड में भी साबिक नम्बर 464 हमारी खातेदारी में दर्ज है । बंदोबस्त विभाग द्वारा साबिक रिकार्ड अनुसार सही इन्द्राज किया गया है अर्थात साबिक रिकार्ड अनुसार ही हमको खातेदार दर्ज किया गया है । हाल नम्बर 854 कभी भी गैर मुमकिन रास्ता नहीं रहा है । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद इस तथ्य को लेकर है कि क्या हाल खसरा नम्बर 854 साबिक खसरा नम्बर 533 से बना है अथवा साबिक नम्बर 464 से बना है तथा क्या हाल खसरा नम्बर 854 कदीम से रास्ता रहा है । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया । हाल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 में हाल खसरा नम्बर 853 में सोमदत्त, जो कि प्रार्थी अपीलांट का पिता है, की खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042–61 के अनुसार गत खसरा नम्बर 533 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा से हाल नम्बर 854 रकबा 85 एयर बनना पाया जाता है । इसी प्रकार एक अन्य मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 854 रकबा 85 एयर साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा से बनना पाया जाता है । इन्तकाल नम्बर 764 दिनांक 20.2.09 द्वारा हाल खसरा नम्बर 854 पर घीसाराम की विरासत उसके वारिसान प्रतिवादीगण रेस्पो0 राममोहन वगैरा के नाम दर्ज हुई है । जमाबन्दी सम्वत 2030 में खसरा नम्बर 533 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है । साबिक जमाबन्दी में साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 11 पर घीसाराम खातेदार का अंकन किया हुआ है । बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2042 में हाल खसरा नम्बर 854 की किस्म चाही प्रथम एवं जाव प्रथम दर्ज की हुई है ।

6. उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्प ट है कि साबिक नम्बर 463 रकबा 2 बीघा 08 से हाल खसरा नम्बर 853 बनाया गया है, जो कि प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी का है । विवाद हाल खसरा नम्बर 854 के सम्बन्ध में है, जिसे कि रास्ता बताया जा रहा है । पत्रावली पर सम्वत 2042 के 2 मिलान क्षेत्रफल पेश हुये हैं । एक मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 533 से हाल खसरा नम्बर 854 बनाया गया है, जो कि साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2030 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है । दूसरे मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 854 रकबा 85 एयर साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा से बनाया गया है, जो कि साबिक रिकार्ड में अप्रार्थीगण रेस्पो0 के पिता घीसाराम की खातेदारी में है तथा उनके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

देहान्त के बाद इन्तकाल नम्बर 764 दिनांक 20.2.09 द्वारा उसके वारिसान अप्रार्थीगण रेस्पो0 की विरासत में दर्ज हुआ है । इस प्रकार विवादित खसरा नम्बर 854 के सम्बन्ध में 2 मिलान क्षेत्रफल पेश होने से यह जांच का विषय है कि वास्तव में हाल खसरा नम्बर 854 के साबिक नम्बर क्या थे और वह साबिक नम्बर वास्तव में साबिक रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता था अथवा अप्रार्थीगण के पिता घीसाराम की खातेदारी में था । अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में जांच कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय का पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2009 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो इस निर्णय के पैरा नम्बर 5 एवं 6 का अध्ययन कर वांछित जांच करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 17.11.2016 को उपस्थित हो ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner